

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27( ) ग्रावि-5/पीएमएवाई-जी./आवाससॉफ्ट/विविध/ 2018-19

जयपुर, दिनांक 13 जून, 2019


अतिरिक्त सचिव (ग्रा.आ.),  
ग्रामीण विकास विभाग,  
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

विषय :- लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 19-20 में देय किशतों में प्रस्तावित परिवर्तन के मद्देनजर स्वीकृति वर्ष 19-20 हेतु देय किशत आवास सॉफ्ट पर अप्रभावी करने बाबत।

महोदय,


प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण वर्ष 2019-20 अंतर्गत मैसन प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों के क्लस्टर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में प्रथम किशत जारी होने के उपरान्त आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने की समीक्षा के क्रम में योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृति हेतु देय किशतों की राशि के पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में आग्रह है कि वर्ष 2019-20 स्वीकृति वर्ष के लाभार्थियों को देय किशतें जारी करने का प्रावधान आवास सॉफ्ट पर अप्रभावी कराने हेतु संबंधित को निर्देशित कराने का श्रम करावे।

  
(राजेश्वर सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
4. श्री गया प्रसाद, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. श्री पी.के. मित्तल, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि